न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 14/2023

जीसीएमएस नम्बर : 2023/69

प्रार्थीः–	बनाम	अप्रार्थीगणः–
मूलसिंह पुत्र प्रतापसिंह जाति राजपुरोहित निवासी चांचोड़ी तहसील रानी जिला पाली राज.		1. भीकसिंह पुत्र जयरूपसिंह 2. जयसिंह पुत्र जयरूपसिंह जातिगण राजपुरोहित निवासीगण चांचोड़ी तहसील रानी जिला पाली 3. ग्राम पंचायत चांचोड़ी जरिये सरपंच तहसील रानी 4. नारायणसिंह पी पुत्र प्रतापसिंह जाति राजपुरोहित निवासी चांचोड़ी तहसील रानी जिला पाली राज.

"पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994"

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री सुमेरसिंह राजपुरोहित।
2. अप्रार्थी संख्या 1, 2 व 4 की ओर से अधिवक्ता श्री नारायण लाल कुमावत।

–: निर्णय :–

दिनांक : 23/04/2026

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के तहत ग्राम पंचायत चांचोड़ी द्वारा मिसल संख्या 36/1985–86 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 351 दिनांक 25.05.1987 के विरूद्ध पेश की है। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने दौराने बहस निगरानी मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि प्रार्थी के पिता एवं अप्रार्थीगण के पिता दोनों सगे भाई थे, जो पदमसिंह के पुत्र थे। ग्राम चांचोड़ी में सेपाउओं के बास में प्रार्थी का पुश्तैनी भुखण्ड आया हुआ है, जिसके पड़ौस उत्तर दिशा में जेठूसिंह पुत्र लक्ष्मणसिंह का परिसर, जो वर्तमान में बाबुसिंह पुत्र प्रतापसिंह का खरीद सुदा है, दक्षिण दिशा में नेवों की गली और आगे वदीसिंह पुत्र नवलसिंह का मकान, पूर्व दिशा में गली तथा पश्चिम दिशा में आम रास्ता स्थित है। उक्त आराजी का आधा हिस्सा अर्थात् उत्तर से दक्षिण 28 फीट चौड़ाई एवं पूर्व से पश्चिम दिशा 66 फीट लम्बाई का भूखण्ड अप्रार्थीगण के पिता के हिस्से में था, जिस पर उनका निर्माण कार्य किया गया है और शेष भूखण्ड प्रार्थी के हिस्से में आया। अप्रार्थी के पिता ने ग्राम पंचायत के समक्ष दिनांक 17.08.1985 को सम्पूर्ण भूखण्ड का पट्टा बनाने हेतु पेश किया, जिसमें प्रस्तुत प्रश्नगत भूमि के नक्शे पर न तो नक्शा बनाने वाले के हस्ताक्षर है और न ही सायल के हस्ताक्षर

अति. जिला कलेक्टर
पाली (राज.)

है। नक्शे में भूमि का कूल नाप 3040 वर्गफीट बताया जबकि मौका निरीक्षण रिपोर्ट में उक्त नाप 3332 वर्गफीट होना जाहिर किया है। ग्राम पंचायत ने सम्पूर्ण पुश्तैनी भूखण्ड का अप्रार्थी के पिता के अकेले के पक्ष में जैर निगरानी पट्टा जारी कर दिया जबकि मौके पर आज भी प्रार्थी का आधे हिस्से में मकान निर्मित है। मिसल के संलग्न बयान में भी बयानकर्त्ता ने उक्त भूखण्ड पर प्रार्थी के पिता के आधे हिस्से को स्वीकारा है। ग्राम पंचायत ने पंचायती राज नियमों में वर्णित प्रावधानों की अवहेलना करते हुये विधिविरूद्ध तरीके से जैर निगरानी पट्टा जारी किया, जिसे खारिज फरमावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने दौराने बहस कथन किया कि जैर आराजी पारिवारिक बंटवाड़े में अप्रार्थी के पिता के हिस्से में आई और तब से अप्रार्थीगण बतौर मालिक काबिज है। जैर आराजी पर अप्रार्थीगण द्वारा निर्माण कार्य किया हुआ है। जैर निगरानी आराजी के सम्बन्ध में अप्रार्थीगण के पिता द्वारा विधिनुसार ग्राम पंचायत के समक्ष आवेदन पेश किया गया, जिस पर पंचायती राज नियमों में वर्णित प्रावधानों की पूर्ण पालना करते हुये विधिनुसार जैर निगरानी पट्टा जारी किया गया है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने जैर आराजी का बेचाण अप्रार्थी संख्या 4 को कर दिया, तब से लगातार जैर आराजी पर खरीदकर्त्ता का ही कब्जा है। जैर आराजी को प्रार्थी ने अपनी पैतकृ हक अधिकार की भूमि बताते हुये निगरानी याचिका पेश की है और तथ्य का निर्धारण सिविल न्यायालय द्वारा किया जाना है। प्रश्नगत पट्टा वर्ष 1985 में जारी किया गया है और प्रार्थी ने 39 वर्ष की देरीना जैर निगरानी याचिका पेश की है, जो कि म्याद बाहर है। प्रार्थी ने बिना विधिक आधारों के जैर निगरानी याचिका पेश की है, जिसे खारिज फरमावे।

हमने उभयपक्ष की श्रवणसुदा बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जैर निगरानी ग्राम पंचायत चांचोड़ी द्वारा मिसल संख्या 36/1985–86 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 351 दिनांक 25.05.1987 के विरूद्ध पेश की है। अधिवक्ता अप्रार्थी का दौराने बहस मुख्य उज्र यह है कि अधिवक्ता प्रार्थी ने जैर निगरानी याचिका लगभग 39 वर्ष बाद पश्चात् पेश की है, जो कि म्याद बाहर होने से खारिज योग्य है। अधिवक्ता प्रार्थी ने विपक्षी अधिवक्ता के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि प्रार्थी को जानकारी होने पर अन्दर म्याद उक्त निगरानी याचिका पेश की, इसके अतिरिक्त जब ग्राम पंचायत द्वारा पंचायतीराज नियमों की अवहेलना करते हुये विधिविरूद्ध तरीके से पट्टा जारी किया गया हो, तो वहां पर समयसीमा बाध्यकारी नहीं होती है। इस सम्बन्ध में न्यायिक दृष्टान्त 2000 (2) RLW 911 (FB) Raj. High Court Chimna lal vs State of Rajasthan and others के अनुसार When no period of limitation is provided then in our opinion the same has to be exercised within a reasonable time and that will depend upon facts and circumstances of each case like ; (i) when there is fraud played by the parties; (ii) the orders are obtained by mis-representation or collusion with public officers by the private parties; (iii) Orders are against the public interest; (iv) the orders are passed by the authorities who have no jurisdiction; (v) the order are passed in clear violation of rules or the provisions of the Act by the authorities; and (vi) void orders or the orders are void ab initio being against the public policy or otherwise. The common law doctrine of public

अति. जिला कलेक्टर
पाली (राज.)

policy can be enforced wherever an action affects/offends the public interest or where harmful result of permitting the injury to the public at large is evident. In such type of cases, revisional powers can be exercised by the authority at any time either suo moto or as and when such orders are brouth to their notice. इसी प्रकार 2018(2)DNJ (Raj.) 497 Usha Jugtawat vs State of Rajasthan Thro' Additional District Collector (Land Conversion) Jodhpur & Ors. में यह यह उल्लेख किया गया कि No limitation for exercising the reisional jurisdiction if pattas were issued in illegal manner and committing fraud. साथ ही न्यायिक दृष्टान्त 2015 (1) DNJ 443 Looni Devi & 10 Ors. vs State of Rajasthan & Ors. में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि "Allotment obtained by playing fraud is void and no limitation for setting aside of such void allotment." राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 में निगरानी से सम्बन्धित कोई विशेष समय सीमा या सीमित समय का उल्लेख नहीं है। हस्तगत प्रकरण में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त 2000 (2) RLW 911 (FB) Raj. High Court में प्रतिपादित सिद्धान्त अनुसार जब किसी अधिनियम में कोई सीमा अवधि प्रदान नहीं की गई है, तो वह प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा तथा वर्णित 6 प्रकार की कार्रवाई को अवैध माना एवं इस प्रकार के मामलों में, प्राधिकरण द्वारा किसी भी समय पुनरीक्षण शक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है या जब भी ऐसे आदेश उनके ध्यान में लाए जाते है। साथ ही में विद्वान वकील के इस तर्क पर आते हुए कि लगभग 39 वर्ष के अस्पष्ट विलम्ब के बाद जारी किए गए जैर निगरानी पट्टे को चुनौती देने के लिए दायर याचिका को केवल इसी आधार पर खारिज कर दिया जाना चाहिए था, यह कहना पर्याप्त है कि किसी वैध अधिकार के बिना प्राप्त जैर निगरानी पट्टे को रद्द करने के लिए सक्षम प्राधिकरण के रास्ते में कोई सीमा नहीं आनी चाहिए। इसलिये प्रकरण में म्याद कण्डोन करते हुये निगरानी श्रवणार्थ ग्रहण करते है।

अधिवक्ता प्रार्थी का दौराने बहस मुख्य उज्र यह था कि ग्राम पंचायत ने पुश्तैनी भूखण्ड का केवल अप्रार्थी के पिता के पक्ष में ही जैर निगरानी पट्टा जारी कर दिया। विपक्षी अधिवक्ता ने अधिवक्ता प्रार्थी के कथनों का विरोध करते हुये निवेदन किया कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी के पूर्वज ने पूर्व में ही अपनी सम्पत्ति का बंटवाड़ा कर दिया था तथा जैर निगरानी भूखण्ड केवल अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पिता के हिस्से में आया था जिसमें प्रार्थी के पिता का कोई हक हिस्सा निहित नहीं है। इस तथ्य की पुष्टि हेतु ग्राम पंचायत से प्राप्त जैर निगरानी पट्टे की मिसल का अवलोकन करने पर यह पाते है कि पट्टाधारक ने अपने आवेदन–पत्र में पुश्तैनी मकान का पट्टा बनवाने का कथन किया। इसी प्रकार आदेशिका भी पुश्तैनी मकान के पट्टे के सम्बन्ध में दर्ज की गई। इसके अतिरिक्त मिसल में जिन व्यक्तियों के बयान लिये गये है उन्होनें भी अपने बयान में यह कथन किया कि आवेदनकर्त्ता जो पट्टा बनाना चाहते है, उस पर इनका पिढ़ियों से कब्जा है। इसके अतिरिक्त पत्रावली के संलग्न ग्राम पंचायत चांचोड़ी की मौका रिपोर्ट दिनांक 18.01.2023 के अन्तिम पैरा के अनुसार मौके पर मूल पट्टा संख्या 351 जो जयरूपसिंह पुत्र पदमसिंह के नाम से बना हुआ है, जो पुश्तैनी जमीन है। अधिवक्ता अप्रार्थी ने पुश्तैनी सम्पत्ति के बंटवाडा के सम्बन्ध में केवल तर्क किये है

अति. जिला कलेक्टर
पाली (राज.)

इसकी ताईद में कोई दस्तावेज अथवा साक्ष्य पेश नहीं किया। न्यायिक प्रक्रिया में केवल कथन करना पर्याप्त नहीं होता, बल्कि उसे प्रमाणित करना आवश्यक होता है। यदि प्रमाण प्रस्तुत नहीं किये जाते तो कथन केवल आरोप या दावे के समान होते हैं जिनका कोई ठोस समर्थन नहीं होता इसलिये न्यायालय ऐसे कथनों को स्वीकार नहीं करता। सम्बन्धित अधिवक्ता का यह दायित्व होता है कि वह अपने कथनों को प्रमाणित करे, बिना उचित सबूत के केवल कथन करना स्वीकार्य नहीं। उपर्युक्त समस्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि जैर निगरानी आराजी पुश्तैनी है, जिसका केवल अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पिता के पक्ष में जैर निगरानी पट्टा जारी किया गया है। इस सम्बन्ध में माननीय न्यायालय ने अपने न्यायिक दृष्टान्त 2024(2) WLC 168 (Raj.) Banshi lal vs State of Rajasthan & Ors में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994, धारा 97, भारत का संविधान, 1950 अनु. 226, पट्टा प्रदान किया जाना–सम्पति पैतृक है तथा याची के साथ ही उसके अन्य जीवित भाईयों व बहिनों का हित (अधिकारी) इसमें है–याची इस भूमि पर पूर्ण रूपेण अपना ही अधिवास होने का दावा करता है, जिससे ग्राम पंचायत ने अकेले ही उसके नाम में, अन्य सह–स्वामियों के आक्षेपों के करने के बाद भी पट्टा जारी किया था–अभिनिर्धारित जब तक विभाजन नहीं हो जाता तथा अंशों का सीमांकन नहीं हो जाता अथवा अन्य सह–स्वामी सहमति नहीं दे देते, तब तक पट्टा जारी नहीं किया जा सकता है–अतः आदेश द्वारा इसको नामंजूर किया जाना उचित है–किसी हस्तेक्षप की आवश्यकता नहीं है। इसी तरह न्यायिक दृष्टान्त 2024(5) WLC 210(Raj.) Banshi lal vs State of Rajasthan & Ors के अनुसार राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994, धारा 97, भारत का संविधान, 1950, अनु. 226–ग्राम पंचायत ने बी के पक्ष में पट्टा जारी किया था परन्तु निगरानी में इसे रद्द कर दिया गया–चुनौती–विवादित सम्पत्ति पैतृक है तथा स्वयं बी ने इस तथ्य को स्वीकार किया है–अन्यथा भी यह एच, बी के पिता के नाम में थी जिसके 4 पुत्र व 1 पुत्री है–अतः एच की मृत्यु होने पर, यह पैतृक सम्पत्ति है–महज लम्बे समय से काबिज होने से पट्टा (स्वामित्व का दस्तावेज) बी को जारी नहीं किया जा सकता है–आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया गया। हस्तगत प्रकरण में जैर निगरानी पट्टा पुश्तैनी सम्पत्ति का जारी किया गया है जिसमें सभी पक्षकारों की सुनवाई आवश्यक है, केवल एक व्यक्ति के पक्ष में बिना सभी पक्षकारों को सुने पट्टा जारी करना गलत है क्योंकि सम्पत्ति के सम्बन्ध में सभी वारिसानों के हित और अधिकार समान होते हैं, इसलिये न्यायसंगत निर्णय के लिए सभी सम्बन्धित पक्षों को अवसर देना आवश्यक होता है। सभी वारिसों को सुनना न्यायिक प्रक्रिया का मूल सिद्धान्त है ताकि किसी का अधिकार हनन न हो।

अधिवक्ता प्रार्थी का दौराने बहस अन्य मुख्य उज्र यह था कि ग्राम पंचायत ने प्रार्थी के पिता के हिस्से की भूमि को शामिल करते हुये पुश्तैनी भूमि का जैर निगरानी पट्टा जारी कर दिया। अधिवक्ता अप्रार्थी ने उक्त उज्र का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि ग्राम पंचायत ने अप्रार्थी के पिता के हिस्से में आने वाली भूमि का ही जैर निगरानी पट्टा जारी किया है। अभिलेख पर उपलब्ध मूल पट्टा संख्या 351, मौका रिपोर्ट दिनांक 18.01.2023, प्रश्नगत पट्टे की मिसल, संलग्न नक्शा तथा तेजसिंह पुत्र चिमनसिंह राजपुरोहित एवं गलसिंह पुत्र धूलसिंह राजपुरोहित के बयानों

अति. जिला कलेक्टर
पाली (राज.)

के परीक्षण करने यह तथ्य प्रकट होता है कि प्रश्नगत भूमि पुश्तैनी सयुंक्त सम्पत्ति थी, जिसमें दोनों भाईयों का समान आधा–आधा हिस्सा था। मौका रिपोर्ट में स्पष्ट अंकित है कि प्रत्येक पक्ष का हिस्सा 66 बाई 28.6 फीट का बनता है तथा उक्त 66 बाई 28.6 फीट क्षेत्रफल पर निर्माण कार्य भी विद्यमान है। यह भी अभिलेखित है कि जैर निगरानी पट्टा, जो कि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पिता जयरूपसिंह के पक्ष में जारी किया गया, उसमें पूर्व दिशा में नोव के पानी गिरने की गली 44 फीट, पश्चिम दिशा में रास्ता व दरवाजा, उत्तर दिशा में प्रतापसिंह पुत्र पदमसिंह 70 फीट तथा दक्षिण दिशा में गली 70 फीट दर्शाया गया है। उक्त सीमाएँ सम्पूर्ण पुश्तैनी भूमि की सीमाओं से मेंल खाती है। साथ ही मौका रिपोर्ट में दर्शित नक्शा भी उन्हीं सीमाओं को प्रतिबिंबित करता है किन्तु तथ्यात्मक विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पिता के हिस्से में वास्तविक रूप से केवल 66 बाई 28.6 फीट भूमि ही आती है, जबकि ग्राम पंचायत द्वारा जारी जैर निगरानी पट्टा 43 फीट चौड़ाई का निर्मित किया गया है, जो वास्तविक आधे हिस्से (28.6 फीट) से अधिक है। इस प्रकार, पट्टा जारी करते समय ग्राम पंचायत द्वारा संयुक्त पुश्तैनी भूमि के सम्पूर्ण सीमाकंन को आधार बनाते हुए अप्रार्थी के पिता के हिस्से से अधिक भूमि सम्मिलित कर ली गई, जिससे प्रार्थी के पिता के हिस्से की भूमि भी उक्त पट्टे में समाविष्ट हो गई। अतः उपलब्ध साक्ष्यों से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा जारी जैर निगरानी पट्टा वास्तविक हिस्सेदारी से अधिक क्षेत्रफल का है तथा वह प्रार्थी पक्ष के हिस्से की भूमि को सम्मिलित करता है। इसके अतिरिक्त प्रार्थी द्वारा जैर निगरानी याचिका, ग्राम पंचायत द्वारा पारित किसी आदेश के विरूद्ध पेश कर जैर निगरानी पट्टा जारी करते समय ग्राम पंचायत द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया को चुनौती दी है। इस सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त (2010) 1 WLC 472 uma soni vs Rajasthan State में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि It has been held that the patta issued by Gram Panchayat in contravention to the Rules of 1996 can be quashed in exercise of powers under Section 97 of the Act of 1994 तथा राजस्थान पंचायती राज नियम की धारा 97 के तहत ग्राम पंचायत के किसी आदेश के सही होने, उसकी विधिकता या औचित्य की जांच करने का क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार न्यायालय हाजा को है। चूंकि धारा 97 में पंचायत की आज्ञा/कार्रवाई के सम्बन्ध में परीक्षण एवं अन्य उचित आदेश जारी किए जाने हेतु सक्षम प्राधिकारिता न्यायालय हाजा को ही प्रदत्त है तथा पट्टा, ग्राम पंचायत द्वारा पारित आज्ञा की अनुवर्ती कार्रवाई के तहत जारी किया जाता है। इस कारण ग्राम पंचायत द्वारा जारी आज्ञा एवं उक्त आज्ञा की पालना में जारी पट्टे की वैधता को जांचने का क्षेत्राधिकार न्यायालय हाजा में निहित है।

जैर निगरानी याचिका में प्रश्नगत आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टा राजस्थान पंचायती राज नियम 266 के तहत जारी किया गया है। हस्तगत प्रकरण में पट्टा जारी किये जाने के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई गई है, वह राजस्थान पंचायती राज नियम, 1961 के नियम 255 से 268 में विहित प्रावधानों की पूर्ण पालना का अभाव पाया गया हैं। जैर निगरानी आज्ञा से सम्बन्धित मिसल का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि आदेशिका दिनांक 17.08.85 के द्वारा आवेदनकर्त्ता की पुश्तैनी भूमि का पट्टा बनाने हेतु मिसल दर्ज की गई परन्तु

अति. जिला कलेक्टर
पाली (राज.)

नियम 256 के तहत आवेदन पत्र के साथ, खरीदी जाने के लिए चाही गई भूमि का नक्शा तैयार करने के खर्चे के लिए दो रूपये की राशि पंचायत में जमा करायेगा, जो कि हस्तगत प्रकरण में नहीं करवाये गये और न ही ग्राम पंचायत के अभिलेखों में शुल्क जमा होने के सम्बन्ध में कोई प्रविष्टि पाई गई है। आदेशिका दिनांक 19.09.1985 के द्वारा सचिव को नक्शा एवं तीन पंचों को मौका निरीक्षण हेतु निर्देशित किया गया, किन्तु किन तीन पंचों द्वारा मौका निरीक्षण किया जायेगा, उन्हें नामित नहीं किया गया। प्रश्नगत भूमि के नक्शे पर न तो नक्शा बनाने वाले के हस्ताक्षर है और न ही सायल के हस्ताक्षर है। हस्ताक्षर के अभाव में यह प्रमाणित नहीं होता कि नक्शा विधिवत रूप से तैयार किया गया हो। इसके अतिरिक्त उक्त नक्शे पर प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल 3040 वर्गफीट अंकित है जबकि मौका निरीक्षण रिपोर्ट पर प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल 3332 वर्गफीट अंकित है जो परस्पर विरोधाभासी है। प्रकरण में आवेदक द्वारा नियम 256(2) के तहत आवेदक खरीदी जाने के लिए चाही गई भूमि का नक्शा तैयार करने के खर्चे के लिए दो रूपये की राशि पंचायत में जमा करायेगा, जो नहीं करवायी गयी। इसके पश्चात नियम 258 के तहत तीन पंचों को स्थल निरीक्षण हेतु नामित किया जाना था, जो नियम 258(2) ''क से घ'' के बिन्दुओं पर रिपोर्ट प्रस्तुत करते, किन्तु इस प्रकरण में उपरोक्त वर्णित प्रावधानों को दूषित करते हुए मनमर्जी की प्रक्रिया अपनाई जाकर कार्यवाही की गई और पट्टा जारी किये जाने के सम्बन्ध में पंचों के द्वारा कोई राय भी कायम नहीं की गई, जो पट्टा जारी किये जाने की सम्पूर्ण प्रक्रिया पर प्रश्नचिह्न लगाती हैं। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त 2012 (2) RLW(RJ) 1091 Dhrampal Singh vs Additional District Collector के अनुसार Rajasthan Panchayat Raj Rules, 1996, Rule 157 read with Rule 146 - Allotment bade by Village Panchayat-Not following the requirements of Rule 157-Additional Collector cancelled the allotment-Held-The village Panchayat had failed to follow the procedure prescribed for allotment or take into consideration the preconditions for invoking Rule 157 of the 1996 Rules. Petition dismissed. इसी प्रकार 2009 WLC 759 Babu singh vs State of Rajasthan & Others. के अनुसार Rajasthan Panchayat Raj Act, 1994-S.97-The patta issuing order of the collector has been quashed as the order has been made in violation of the rules-The collector has exercised his power superficially in this mater which is not acceptable-Resolution for issuing the Patta has been set aside. उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्त प्रकरण पर हूबहू चस्पा होता है। प्रकरण में पंचायत द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई गई है, वह समर्थन योग्य नहीं है।

हस्तगत प्रकरण में ग्राम पंचायत द्वारा आदेशिका दिनांक 31.10.1985 के द्वारा एक माह का आपत्ति इश्तिहार जारी करने के निर्देश दिये गये परन्तु किन्तु उक्त निर्देशों की विधिसम्मत पालना सिद्ध करने हेतु कोई दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है अर्थात् पत्रावली पर ऐसा कोई आपत्ति इश्तिहार संलग्न नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रकरण में जो आपत्ति इश्तिहार जारी किया गया, उसके सम्बन्ध में कोई आपत्ति प्राप्त हुई अथवा नहीं ? यदि आपत्ति प्राप्त हुई, तो उक्त आपत्ति का क्या निस्तारण किया गया ? यह कहीं भी स्पष्ट नहीं हैं। इस सम्बन्ध में राजस्थान उच्च न्यायालय ने

अति. जिला कलेक्टर
पाली (राज.)

न्यायिक दृष्टान्त 1995 DNJ (Raj) 458 Dhanraj and Anr vs Additional Collector, Ganganagar & Ors. के अनुसार राजस्थान पंचायत और न्याय पंचायत (सामान्य) नियम, 1961–नियम 255 से 265–आबादी भूमि के विक्रय हेतु विस्तार से प्रक्रिया प्रकट है–प्रस्तुत मामले में यह प्रक्रिया नहीं अपनाई गई–भूमि क्रय करने हेतु आमंत्रण नहीं मांगें गए, कोई सूचना प्रकाशित नहीं हुई–कोई आपत्तियॉ भी नहीं मांगी गई और न सार्वजनिक निलाम ही हुआ, अभिनिर्धारित, यह तो स्पष्ट रूप से नियमों का ही अतिक्रमण न होकर, भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का भी अतिक्रमण है–विक्रय को अभिखण्डित किया गया। इसके अतिरिक्त पत्रावली पर उपलब्ध अन्तिम आदेशिका का परीक्षण करने पर यह पाया गया कि उक्त आदेशिका पूर्णतः कार्बन कॉपी के रूप में है, जो पूर्व–मुद्रित प्रारूप पर आधारित प्रतीत होती है, जिसमें केवल नाम एवं आवश्यक विवरण सुविधानुसार अंकित कर अंन्तिम आदेश पारित किया गया है। उक्त आदेशिका में भूमि के कुल क्षेत्रफल के सम्बन्ध में गम्भीर विसंगति पाई गई हैं। प्रारम्भिक रूप से भूमि का कुल क्षेत्रफल 3332 वर्गफीट अंकित किया गया, जिसे बाद में गोला कर 3040 वर्गफीट अंकित कर दिया गया है। यह स्थिति आदेश की प्रमाणिकता एवं विश्वसनीयता पर गम्भीर प्रश्नचिह्न अंकित करता है। इस सम्बन्ध में न्यायिक दृष्टान्त RRT 2003(1) page 174 के अनुसार राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 नियम 142 से 157–पंचायती राज अधिनियम, 1994–धारा 63 व 97–आपसी बातचीत से आबादी भूमि विक्रय की–जब तक नियम 156 में दी गई शर्तों की पालना न हो तब तक भूमि विक्रय नहीं की जा सकती और न पट्टा जारी किया जा सकता–प्रार्थी पिछले 15 वर्षों से भूमि के अधिपत्य में है इस आधार पर भी भूमि आपसी बातचीत से विक्रय नहीं की जा सकती–नियम 142 से 157 के प्रावधानों की पालना नहीं–अपर कलेक्टर ने विक्रय को अपास्त करने में कोई त्रुटि नहीं की है। ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी को पट्टा आवंटन के दौरान सामान्य नियमों की अनदेखी की गई हैं। इस प्रकार जैर निगरानी आज्ञा एवं उनकी पालना में जारी पट्टे विधि सम्मत नहीं है, इस कारण हस्तगत निगरानी याचिका में प्रश्नगत आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे को कायम रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता हैं।

परिणामस्वरूप अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत चांचोड़ी द्वारा मिसल संख्या 36/1985–86 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 351 दिनांक 25.05.1987 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की सत्यप्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 23/04/2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. बजरंग सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

अति. जिला कलेक्टर
पाली (राज.)